भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2788
दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर ठगों द्वारा फर्जी ई-चालान भेजकर बैंक खाते खाली किया जाना

2788# श्री नीरज डांगी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को साइबर ठगों द्वारा फर्जी ई-चालान भेजकर बैंक खाते खाली करने की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितनी राशि ठगी गई है, कितने मामले सुलझे हैं और दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे साइबर अपराधों की जांच हेतु राज्य पुलिस और साइबर सेलों को सरकार द्वारा क्या विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार की साइबर ठगी के पीड़ितों को शीघ्र धन-वसूली में सहायता देने के लिए कोई समयबद्ध तंत्र संचालित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आँकडों को अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। फर्जी ई-चालानों के संबंध में दर्ज मामलों, सुलझाए गए मामलों और धोखाधड़ी की गई राशि संबंधी आंकड़े एनसीआरबी द्वारा नहीं रखे जाते है।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के तहत 'नागरिक वित्तीय

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2788, दिनांक 12.08.2026

साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक, 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है।

गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है। आई4सी ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्लेटफार्मों पर 2,77,053 से अधिक अवैध और धोखाधड़ी वाली ऐप्स/ सामग्री/ वेबसाइटों/ ई-मेल खातों/ यू आरएल/ लिंक को ब्लॉक कर दिया है और संबंधित आईटी मध्यस्थों को सूचित करके सक्रिय कार्रवाई की है।

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के माध्यम से, साइबर अपराध प्रबंधन और प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण संबंधी सहायता और वित्तीय संसाधन प्रदान करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,63,344 से अधिक पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 1,61,957 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

देश में साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए विशेष प्रशिक्षण से लैस साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित करने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर कमांडो कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक समर्पित, कुशल कार्यबल का सृजन करना है जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को सुरक्षित रखने तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रयासों को समर्थन देने में सक्षम हो। 281 साइबर कमांडो ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2788, दिनांक 12.08.2026

आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' , 'बैंक कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र' (जिसे पहले राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) {एनसीएफएल (आई)} के नाम से जाना जाता था) स्थापित किया गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, साइबर अपराधों से संबंधित 14,064 से अधिक मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र, नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

परिचालन दक्षता को और मजबूत करने तथा साइबर अपराध की शिकायतों के निपटान में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी में एनसीआरपी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई, बैंक के साथ समन्वय, शिकायत निवारण, लियन मार्किंग को हटाने और धोखाधड़ी से प्रभावित धन को सही दावेदारों को लौटाने करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा निर्धारित किया गया है। पीड़ितों को धोखाधड़ी से प्रभावित धन को शीघ्र लौटाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल और बैंक खातों को फ्रीज करने और धन की लियन मार्किंग से संबंधित शिकायतों पर समय से कार्रवाई करने के लिए शिकायत निवारण मॉड्यूल को अप्रैल, 2026 से कार्यात्मक बना दिया गया है।

*****